कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

सत्यमेव जयते

मुख्यालय/HEADQUARTERS
पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 02
Phone: 011-23214092, VOIP: 10011067
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

e file No. F-16/13/AllIndiaBudget/2024-E-VI-Part(1) **Dated : 14 /01/2026**

ज्ञापन

विषय :	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए निधियों का परिशोधित आंबटन।

क्षेत्रीय निदेशकों आदि द्वारा अग्रेषित वर्ष 2025-2026 के परिशोधित प्राक्कलनों संबंधी प्रस्तावों , उसके बाद प्राप्त अतिरिक्त मांगो पिछले सालों के वास्तविक ,खर्चों, वर्तमान वर्ष मे 10/2025 तक के वास्तविक खर्चों और श्रम मंत्रालय द्वारा प्राप्त आर्थिक अनुदेशों पर विचार करते हुए वित्त एवं लेखा प्रभाग (बजट कक्ष-मु.) द्वारा उपलब्ध की गई निधियों से वर्ष 2025-2026 के लिए परिशोधित बजट **अनुलग्नक-'A' एवं 'B'** के रूप में संलग्न है जो की केंद्र सरकार के अनुमोदन ,के अधीन हैं।

मुख्यालय मॉडल अस्पतालों/दिल्ली (चिकित्सा) उप क्षेत्रों तथा निदेशालय/विभिन्न क्षेत्रों ,(केवल अग्रिम शीर्ष के लिए) के संबंधित शीर्षो के अंतर्गत आंबटित राशि संलग्न विवरणी में दर्शायी गई है।

क्षेत्रीय निदेशकों आदि से निवेदन है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संलग्न विवरण में परिशोधित प्रावधानों के अनुसार ही व्यय विनियमित किया जाए तथा किसी भी स्थिति में किसी भी शीर्ष के अंतर्गत परिशोधित आंबटन से अधिक खर्च न किया जाए। इस संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) ,नियम1950 के नियम-23 के उपबंधो की और ध्यान आकर्षिक किया जाता है जिसमें अधिनियम के उपबंधो के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों को हितलाभ की व्यवस्था है तथा विधिमान्य स्वीकृत पदों के वेतन तथा भत्ते स्वीकृत बजट अनुदान के कारण रोके नहीं जाएगें।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयोंअस्पतालों से निवेदन है कि मुख्यालय द्वारा/.का.क्षे.उ/ आबंटित बजट का पुनर्विनियोजन एक लेखा शीर्ष से दूसरे पर अपने स्तर पर न करें।

संलग्नक : यथोपरि।

14/01/26

सहा. निदेशक, स्था. -VI

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
2. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, NTA द्वारका दिल्ली।
3. सभी निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रभारी)उप क्षेत्रीय कार्यालय।
4. सभी चिकित्सा अधीक्षक/निदेशक (चिकित्सा),क.रा.बी.अस्पताल/मॉडल अस्पताल।
5. मुख्यालय के सभी संबन्धित शाखाएं।
6. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, मुख्यालय-निगम वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।